(14)

संख्या–85/XLI-1/2011–73/08

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 4 मार्च, 2011

विषयः– **राजकीय पालीटेक्निक, विकासनगर (देहरादून) के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1525/XXIV(8)/2009–73/08, दिनांक 16.03.2010 एवं संख्या–1153/XXIV(8)/2010–73/08, दिनांक 20.08.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजकीय पालीटेक्निक विकासनगर के अनावासीय भवन निर्माण हेतु अनुमोदित आगणन ₹333.65 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त ₹150.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष ₹183.65 लाख में से अगली किश्त के रूप में ₹50,00,000/– (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुये संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आरहण, कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 1.00 करोड़ के कार्य पर पूर्ण व्यय होने के उपरान्त ही यथावश्यकता चरणवद्ध ढंग से नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर कार्य में शीघ्रता लाते हुये निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है, साथ ही उक्त उल्लिखित पूर्व शासनादेश में निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तो का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी।

6. कार्य कराते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. शासनादेश संख्या–1525/XXIV(8)/2009–73/08, दिनांक 16.03.2010 में विहित शेष शर्तें यथावत रहेगी।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्प–03–राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण–00–आयोजनागत–24–वृहत निर्माण कार्य मद" के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार वहन किया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1017(P)/XXVII(3)/2010–11 दिनॉक 03.03.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
5. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, निर्माण इकाई देहरादून।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, विकासनगर (देहरादून)।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।

प्रपत्र बी.एम–15 (पैरा–158)

नियंत्रक अधिकारीः– सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन
अनुदान संख्याः–11 **आयोजनागत**

प्रशासकीय विभाग :– प्राविधिक शिक्षा विभाग
(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण(मानक मद)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम 1 की अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–आयोजनागत–104–बहुशिल्प–07–काण्डा (बागेश्वर) पालिटैक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण– 24–वृहत् निर्माण कार्य– 5000	–	2500	2500	4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–आयोजनागत–104–बहुशिल्प–03–राजकीय बहुधंधी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढ़ीकरण– 24–वृहत निर्माण कार्य – 5000	25000	2500	कॉलम–1 में उल्लिखित संस्थाओं हेतु भूमि उपलब्ध न होने तथा कॉलम–5 में वर्णित मद में प्राविधानित धनराशि कम पडने के दृष्टिगत राजकीय पालीटैक्निक, विकास नगर के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्रस्ताव किया जा रहा है।
4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–आयोजनागत–104–बहुशिल्प–11–गोपेश्वर (चमोली) में महिला पालिटैक्निक हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण– 24–वृहत् निर्माण कार्य– 5000	–	2500	2500			2500	
योगः– 10000	–	**5000**	**5000**	**5000**	**25000**	**5000**	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुवल के परिच्छेद 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लघन नही होता है।

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड सचिवालय
वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
संख्या: 1017(P) /XXVII(3)/2010-11
देहरादून दिनांकः– 03 मार्च, 2011

सेवा में,

महालेखाकार, उत्तराखण्ड
(लेखा एवं हकदारी),
ओबेराय् विल्डिंग, माजरा देहरादून।

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को [illegible]

2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड
3. कोषाधिकारी, पौड़ी / देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव